राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

निर्धारित घंटों के आधार पर पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा आधिकारी (बीएमओ) की नियुक्ति

नाबार्ड के ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400 101 स्थित स्टाफ क्वार्टर्स के औषधालय में निर्धारित घंटों के आधार पर पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर **बैंक चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ)** के एक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. आवेदन मुख्य महाप्रबन्धक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं. सी – 24, “जी” ब्लॉक, पोस्ट बॉक्स सं. 8121, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 को **04 मार्च 2019** को या उससे पहले प्राप्त हो जाने चाहिए.

पात्रता मानदंड:

i. आवेदक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय की चिकित्सा की एलोपेथिक पद्धति में एमबीबीएस की उपाधि होनी चाहिए.

ii. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं.

iii. आवेदक को चिकित्सक के रूप में किसी अस्पताल या क्लीनिक में कार्य करने का न्यूनतम दो (2) वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

iv. ऊपर उल्लिखित बैंक के औषधालय के स्थान से 3-5 कि.मी. की दूरी के भीतर आवेदक का अपना औषधालय या आवास होना चाहिए.

v. विज्ञापन की तिथी तक आवेदक की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

अन्य मानदंड :

vi. संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा अधिकारी का पारिश्रमिक उनके द्वारा वास्तविक रूप में की गई ड्यूटी के समय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और उसमें सब कुछ शामिल होगा.

vii. नियुक्ति की संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और संविदा की समाप्ति के बाद समीक्षा के आधार पर आगे नवीकरण किया जा सकेगा.

viii. परिश्रमिक की दरें और ड्यूटी की अवधि नीचे तालिका में दी गई है :

ix. समय-समय पर पारिश्रमिक की दरों की समीक्षा करने और प्रशासनिक तथा परिचालन आवश्यकताओं के लिए यदि उचित हो तो ड्यूटी के समय तथा औषधालय के स्थान में परिवर्तन करने के अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित रहेंगे. बैंक के अनुदेशानुसार चयनित अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों को ऊपर उल्लिखित स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित औषधालयों में अपनी सेवा देनी होगी.

क्रम सं.	औषधालय का स्थान	अस्थायी कार्य अवधि	पारिश्रमिक
1	नाबार्ड नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400 101.	7.00 बजे से 10.00 बजे तक (3 घंटे) (सोमवार से शनिवार)	संविदा की सम्पूर्ण अवधि की संविदागत सेवा के लिए प्रति घंटा रु.750/- . देय मासिक पारिश्रमिक की कुल राशि में प्रति माह रु. 1000/- को वाहन व्यय माना जाएगा. प्रति माह रु.1000/- के मोबाइल शुल्क की सुविधा प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध होगी.

x. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी कृपया इसके साथ संलग्न फॉर्मेट में ही आवेदन प्रस्तुत करें. आवेदन के लिफाफे पर **'संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए आवेदन'** लिखा होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया:

xi. नाबार्ड, प्रधान कार्यालय संविदा आधार पर चिकित्सा अधिकारियों के पैनल के चयन के लिए साक्षात्कार का आयोजन करेगा.

xii. पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा. साक्षात्कार के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित रखने की दृष्टि से बैंक को न्यूनतम अर्हता मानदंडों को उन्नत करने का अधिकार होगा. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा. जिन आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा उनके साथ बैंक कोई पत्राचार नहीं करेगा.

xiii. चयनित अभ्यार्थी को पंजीकृत चिकित्सक से स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

xiv. उक्त पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय दृष्टि से स्वस्थ पाए जाने और **अनुबंध** में दिए गए निबंधनों और शर्तों को स्वीकार किए जाने के अधीन होगी.

xv. संभावित नियुक्ति की तिथी 01 अप्रैल 2019 होगी.

****

टिप्पणी : किसी भी विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.

अनुबंध

निबंधन और शर्तें

i. प्रारम्भिक रूप से आपकी नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, समीक्षा के बाद इस अवधि को पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस के द्वारा इस सेवा को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है.

ii. संविदा के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर या बैंक के मत में आपका कार्यनिष्पादन असंतोषजनक पाए जाने पर बिना किसी नोटिस के किसी भी समय संविदा को समाप्त करने का अधिकार बैंक को होगा.

iii. आपको स्टाफ की चिकित्सकीय जांच करनी होगी/ उन्हें चिकित्सकीय सलाह देनी होगी.

iv. जब आप औषधालय में आने की स्थिति में नहीं होंगे तब आपको अपने स्थान पर किसी अन्य चिकित्सक की व्यवस्था करनी होगी जो बैंक को स्वीकार्य हो. आपके स्थान पर कार्य करने वाले चिकित्सक के नाम से आप हमें अवगत कराएंगे.

v. आपको सार्वजनिक अवकाश के दिन औषधालय में आने की आवश्यकता नहीं है. तथापि साप्ताहिक छुट्टी सहित कुल अनुपस्थिति यदि लगातार दो दिन से अधिक है तो आप सार्वजनिक अवकाश के लिए पात्र नहीं होंगे.

vi. आपको नाबार्ड के कार्यों और बैंक के स्टाफ के कार्यों के संबंध में गोपनीयता बरतनी होगी और गोपनीय प्रकृति की सूचना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या नाबार्ड के स्टाफ को प्रकट नहीं करना होगा जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा बाध्य न किया जाए या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए अनुदेश न दिया जाए.

vii. कार्यालयीन अनिवार्यताओं की स्थिति में यदि आवश्यक होतो आपको छुट्टी के दिन भी बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित औषधालय या अन्य किसी जगह में आना होगा.

viii. बैंक द्वारा आपको कोई आवास नहीं दिया जाएगा.

ix. बैंक में सेवा आरंभ करने पर आपको जारी किया गया पहचान पत्र संविदा अवधि पूर्ण होने/ संविदा की समाप्ति पर वापस लौटाना होगा.

<u>कार्य सूची</u>

संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों/
<u>दी जाने वाली सेवाओं की निदर्शी सूची</u>

1. आप बैंक के औषधालय में, औषधालय की अवधि के दौरान प्रत्येक मामले की आवश्यकता के आधार पर कर्मचारियों को इंजेक्शन, ड्रेसिंग आदि की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करेंगे.

2. बैंक के स्टाफ को उपचार के उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/ महंगी दवाइयों या इंजेक्शनों की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्ट के नाम पर यदि आवश्यक हो तो ऑर्डर फार्म (क्रेडिट स्लिप) जारी करेंगे.

3. जब भी आवश्यकता हो बैंक के किसी भी स्टाफ सदस्य के घर पर आपको विजिट करना होगा. इस प्रकार की विजिट के लिए आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा.

4. स्टाफ और उनके परिजनों के मामले में यदि आवश्यक हो आप उन्हें विशेषज्ञों के पास भेजेंगे और आवश्यकता को स्पष्ट करेंगे.

5. बैंक द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाता है बैंक के खर्चे पर आपको विभिन्न रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण की व्यवस्था करेंगे.

6. जब भी आवश्यक हो आप स्टाफ और उनके परिजनों के लिए स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित अस्पतालों में सुविधाओं के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे.

7. यदि और जब ऐसा करना आवश्यक हो आपको बैंक के किसी कर्मचारी की, सेवाओं के लिए विस्तृत चिकित्सकीय जांच करनी होगी और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूपों में कर्मचारी के स्वास्थ्य की स्थिति और/ या उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के संबंध में प्रमाणित करना होगा.

8. यदि और जब ऐसा करना आवश्यक हो आपको बैंक की सेवा में नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले भावी कर्मचारियों की, सेवाओं के लिए विस्तृत चिकित्सकीय जांच करनी होगी और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूपों में कर्मचारी के स्वास्थ्य की स्थिति और / या उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के संबंध में प्रमाणित करना होगा.

9. आप जब भी आवश्यक हो कार्यालयीन आकस्मिकताओं की स्थिति में कार्य दिवस से इतर दिनों में भी बैंक के प्रधान कार्यालय या बैंक के क्वार्टर्स में ड्यूटी करनी होगी.

10. आप बैंक द्वारा आवश्यक मानी जाने वाली अन्य प्रकार के संबन्धित कार्य भी करेंगे.

****